जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141 - 2850564

क्रमांक प.(533 2nd) जरारासंविवि / अनु.के. / 26 / दिनांक

विज्ञापन संख्या 02 / अनु.केन्द्र / 2026
(पीठाध्यक्षों हेतु आवेदन)

विश्वविद्यालय में भट्टमथुरानाथ शास्त्री साहित्यपीठ, सवाई जयसिंह ज्योतिर्विज्ञानपीठ, पद्मभूषण पट्टाभिराम शास्त्री मीमांसा एवं धर्मपीठ, पं. नित्यानन्द शास्त्री आधुनिक संस्कृतपीठ, महाकविज्ञानसागर जैनदर्शनपीठ उक्त 05 (पाँच) पीठों हेतु प्रख्यात एवं प्रौढ विद्वानों के प्रस्ताव दिनांक- 30.06.2026 तक आमन्त्रित किये जाते हैं ।विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की बैवसाईट- www.jrrsanskrituniversity.ac.in पर उपलब्ध है ।

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 26 / 12245-48 दिनांक- 21/5/2026.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
2. निजी सहायक, कुलसचिव महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
3. वित्त नियन्त्रक, जरारासंविवि, जयपुर
4. नोडल अधिकारी / प्रभारी वैबसाईट, जरारासंविवि, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि कृपया संलग्न विज्ञापन व पीठ से सम्बन्धित विवरण इत्यादि को लिंक अनुसंधान केन्द्र की साईट पर आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्रदर्शित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
5. सम्बन्धित पत्रावली

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय,

मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) –302026

वेबसाईट: www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई-मेल - jrrsu@yahoo.com

क्रमांक प. (533 2nd) जरारासंविवि / अनु.के. / 26 / 12249 दिनांक 21/05/2026.

विज्ञापन-02/2026

पीठाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु नियम एवं उनके कर्त्तव्य / उत्तरदायित्व

संस्कृत के क्षेत्र में विश्रुत मनीषी, जिनका लेखन, सम्पादन तथा संस्कृत पाण्डुलिपियों का संरक्षण, संवर्द्धन तथा अभिनव शोधादि कार्यों में योगदान रहा है तथा सेवानिवृत्त प्रोफेसर या सम्बन्धित विषय में विख्यात विद्वान्, शास्त्र-मर्मज्ञ आचार्यों की अधोलिखित पीठों के अध्यक्ष पद हेतु विषयानुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित हैं।

पीठों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.सं.	पीठ का नाम
1.	भट्टमथुरानाथ शास्त्री साहित्यपीठ
2.	सवाई जयसिंह ज्योतिर्विज्ञानपीठ
3.	पद्मभूषण पट्टाभिराम शास्त्री मीमांसा एवं धर्मपीठ
4.	पं. नित्यानन्द शास्त्री आधुनिक संस्कृतपीठ
5.	महाकविज्ञानसागर जैनदर्शनपीठ

- उक्त पीठाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मदाऊ, भांकरोटा-मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)-302026 के पते पर रजिस्टर्ड डॉक / व्यक्तिशः आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक-30.06.2026 अपराह्न 05.00 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा किया जा सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों (रजिस्टर्ड डॉक सहित) को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

पीठाध्यक्षों की नियुक्ति हेतु नियम / शर्तें:-

1. पीठाध्यक्षों को प्रतिमाह रूपये- 50,000/- मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।
2. पूर्व में नियुक्त पीठाध्यक्षों को उनके निर्धारित कार्यावधि के अन्दर किसी कारण से प्रशासनिक स्तर पर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया हो तो वे पीठाध्यक्ष पद पर दुबारा आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

3. पीठाध्यक्ष पर नियुक्ति के लिए वे आवेदक भी पात्र नहीं होंगे जिनको उनके पूर्व नियोक्ता द्वारा कार्य / अवधि समाप्ति से पूर्व हटाया गया हो या जिनके पूर्व विभाग द्वारा उनके कार्य / व्यवहार को सन्तोषप्रद नहीं माना गया हो।
4. अधिकतम 70 वर्ष की आयु के विद्वान पीठाध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं तथा उनके कार्यों से संतुष्टि की स्थिति में परामर्शदात्री समिति की समीक्षा एवं उनके निर्णयानुसार समय में अभिवृद्धि की जा सकेगी जो एक-एक वर्ष के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष तक के लिए ही होगा।

नोटः- पीठाध्यक्षों की अधिकतम आयु 70 वर्ष रखी गयी है। तथापि विशेष परिस्थिति में योग्यता व शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ होने पर परामर्शदात्री समिति को आयु सीमा में छूट देने का विशेषाधिकार होगा।

<u>पीठाध्यक्षों के कर्त्तव्य / उत्तरदायित्वः-</u>

1. पीठाध्यक्षों द्वारा न्यूनतम प्रतिमाह 01 व्याख्यान दिया जायेगा।
2. पीठाध्यक्षों को प्रत्येक माह में कम से कम 15 कार्यदिवस विश्वविद्यालय में उपस्थित रहना होगा। पीठाध्यक्ष केवल कुलगुरु महोदय के प्रति उत्तरदायी होंगे।
3. सम्बद्ध विषय में गहन एवं महत्त्वपूर्ण शोधपरियोजना का क्रियान्वयन।
4. पीठाध्यक्षों द्वारा शिक्षकों, छात्रों व शोधार्थियों को अकादमिक कार्य में मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश अपेक्षित होगा।
5. पीठाध्यक्ष को विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं / संगोष्ठियों / व्याख्यान मालाओं एवं कार्यशालाओं इत्यादि में से किसी एक का संयोजन 06 माह में करना होगा। जिसकी परियोजना स्वीकृति करवाने हेतु विभिन्न विभागों / आयोगों / संस्थाओं से नियमानुसार कार्यवाही करवानी होगी।
6. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित दिशा-निर्देश एवं आदेशों की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी।
7. विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर मे निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय आने-जाने हेतु किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
9. पीठाध्यक्षों को विश्वविद्यालय के आवासों में ही रहना होगा। विशेष परिस्थिति में स्थानीय आवागमन हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
10. प्रतिमाह माननीय कुलपति महोदय को पीठ की उपलब्धियों से लिखित में अवगत कराना होगा एवं आगामी माह हेतु कार्य योजना प्रतिमाह आगामी 05 तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी।
11. परामर्शदात्री समिति, माननीय कुलपति एवं कार्यपरिषद् द्वारा समय-समय पर उत्तर-दायित्वों में किये गये परिवर्तनों के अनुसार कार्य सम्पादन किया जायेगा।

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर